



2026:AHC:60055

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 6321 वर्ष 2026**

अखिलेश यादव एवं 3 अन्य ..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य ..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : वंदना सिंह

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, प्रदीप यादव

**न्यायालय संख्या - 77**

**माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव**

- आवेदकों की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती वंदना सिंह, विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप यादव एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
- वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 12/2024, धारा 34, 323, 504, 506, 308 भारतीय दंड संहिता, थाना- महाराजगंज, जनपद- आजमगढ़ से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 1874/2025 (राज्य बनाम अखिलेश यादव एवं अन्य), जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-11, आजमगढ़ के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिनांक 23.03.2024 के आरोप-पत्र, दिनांक 02.06.2025 के संज्ञान/सम्मन आदेश और दिनांक 14.01.2026 के आदेश भी शामिल हैं।
- शुरुआत में ही, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से यह निवेदन किया गया है कि दोनों पक्षों ने पहले ही एक समझौता कर लिया है, जिसे दिनांक 13.01.2026 को लिखित रूप में तैयार किया गया था तथा इसे सत्यापन हेतु विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-11, आजमगढ़ के समक्ष आपराधिक वाद संख्या 1874/2025 (राज्य बनाम अखिलेश यादव एवं अन्य) में प्रस्तुत किया गया था। इस पर निर्णय लेते समय, संबंधित विद्वान न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अनुपालन में, आक्षेपित आदेश दिनांक 14.01.2026 के माध्यम से समझौते को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जिन धाराओं के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तहत न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, वे अशमनीय हैं, और साथ ही इस आधार पर भी कि आवेदकों ने इस तत्काल मुकदमा अपराध संख्या में अभी तक जमानत प्राप्त नहीं की है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है, यह तर्क देने के लिए कि यदि अपराध अशमनीय है और पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, तो पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"54. जहाँ उच्च न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करता है कि अपराधी और पीड़ित के बीच विवाद सुलझ गया है, भले ही वे अपराध अशमनीय हों, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी राय में, आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना एक 'निरर्थक कवायद' होगी और मामले में न्याय की मांग यही है कि पक्षकारों के बीच के विवाद को समाप्त किया जाए और शांति बहाल की जाए; न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना ही अंतिम मार्गदर्शक कारक है..."

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिया गया तर्क उचित प्रतीत होता है, क्योंकि निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवलोकित किया है कि यदि अपराध अशमनीय है, जिसका समाज पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आलोक में कार्यवाही को रद्द करने में कोई हर्ज या त्रुटि नहीं होगी। **एच.एन. पांडकुमार बनाम कर्नाटक राज्य [2025 आईएनएससी 37]** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

"5. सौहार्दपूर्ण समझौते और शिकायतकर्ता की स्पष्ट सहमति के आलोक में, जैसा कि अंतरवर्ती आवेदन द्वारा साक्षित है, यह न्यायालय वर्तमान विविध अपील को स्वीकार करना उचित पाता है। हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत अपराध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के तहत अशमनीय है, किंतु इस मामले की असाधारण परिस्थितियों, जिसमें पक्षकारों के बीच स्वैच्छिक समझौता शामिल है, समझौते को प्रभावी बनाने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग का औचित्य सिद्ध करती हैं।"



5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यद्यपि दिनांक 14.01.2026 के आदेश का समर्थन किया, किंतु साथ ही उन्होंने एच.एन. पांडकुमार (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर अपनी सहमति भी व्यक्त की।

6. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मुकदमा अपराध संख्या 12/2024, धारा 34, 323, 504, 506, 308 भारतीय दंड संहिता, थाना- महाराजगंज, जनपद- आजमगढ़ से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 1874/2025 (राज्य बनाम अखिलेश यादव एवं अन्य), जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-11, आजमगढ़ के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही, जिसमें दिनांक 23.03.2024 का आरोप-पत्र, दिनांक 02.06.2025 का संज्ञान/सम्मन आदेश और दिनांक 14.01.2026 का आदेश शामिल है, एतद्वारा निरस्त की जाती है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

**23 मार्च, 2026**

सैफ

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)